न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16 / 2018

प्रार्थीगण

1. भागीरथ
2. बाबू
3. जयकिशन
4. धरमा
5. छिनू पिसरान बुदराजी
6. भीकी बेवा बुदराजी जातियान विश्नोई निवासीयान भाटीप तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. केसाराम गोद पुरखा
2. हरखा वल्द माला
3. मोहन
4. मनोज पिसरान करना
5. प्रेमी बेवा करना
6. डूंगरा
7. रेखा पिसरान निम्बा
8. राना वल्द पीरा
9. तिकमा
10. मृतक रूपा पिसरान गंगा के कायम मुकाम वारीसान 10/1.लक्ष्मण पुत्र रूपा 10/2.गोविन्द पुत्र रूपा 10/3. बाबूलाल पुत्र रूपा 10/4. मानाराम पुत्र रूपा 10/5.केली पत्नि रूपा जातियान जांगीड ब्राहमण निवासीयान भाटीप तहसील रानीवाडा
11. राना
12. मृतक वगता पुत्र विरदा के कायम मुकाम वारीसान:–12/1.झमूदेवी पत्नि वगता 12/2.देवी पुत्री वगता 12/3.जेठी पुत्र वगता 12/4. द्रोपदी पुत्री वगता 12/5. छगन पुत्री वगता 12/6. रमीला पुत्री वगता
13. किरता
14. हीरा
15. नगा पिसरान विरदा कौम सुथार (जांगीड ब्राहमण) साकिन भाटीप
16. नारणाराम
17. पनाराम
18. गोरधनराम पिसरान प्रहलाद
19. मु. नाजू बेवा प्रहलाद
20. अर्जुन
21. लालू पिसरान वागला
22. राणा
23. हीरा पिसर[illegible] कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:20 IST
Reason: SelfAttested

जाट साकियान भाटीप
तहसील रानीवाडा जिला
जालोर

24. शाखा प्रबंधक एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा करडा
25. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 25 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 04.02.2021

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा भाटीप तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 754 रकबा 0.56 हे.खसरा नम्बर 755 रकबा 0.19 हे., खसरा नम्बर 758 रकबा 0.71 हे.की आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने व बच्चों के विद्यालय आने जाने के लिए व कृषि कार्य के लिए जूताई का साधन, ट्रेक्टर ट्रोली आदी लाने ले जाने हेतु कोई रेकर्डेड आम रास्ता स्थित नहीं हैं तथा प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 753 रकबा 0.27 हे.व अप्रार्थी संख्या 16 से 23 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 736 रकबा 4.70 हे. में से होते हुए रेकर्डेड आम रास्ता तक जाने हेतु सबसे कम आराजी की आवश्यकता पडती है तथा आम रास्ते से स्कूल तक स्कूली छात्रों के आवागमन का रास्ता भी खुल जाता हैं तथा मांग किया गया रास्ता करीब 30 वर्षो पुराना आवागमन का रास्ता है। स्कूल तक आवागमन का रास्ता होने से मार्क सी से डी स्थान तक ग्रामवासियों ने ग्रेवल डालकर स्कूल की पहूंच तक रास्ता बनाया था। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 754 के पडौस में विद्यालय की भूमि खसरा नम्बर 733/872 रकबा 0.16 हे. किस्म गै.मु.स्कूल व खसरा नम्बर 873/754 रकबा 0.16 हे. किस्म गै.मु.स्कूल आई हुई हैं। उक्त आराजी खसरा नम्बर 733/872 को खसरा नम्बर 733 के खातेदार ने व खसरा नम्बर 873/754 को खसरा नम्बर 754 के खातेदारों ने स्कूल हेतु सरेण्डर करवाई हुई हैं। प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित खसरा नम्बर 733/872 गै.मु. स्कूल के पश्चिम दिशा में मार्क एक्स पर स्कूल का मुख्य दरवाजा है तथा मार्क सी से डी स्थान तक रास्ता जो अप्रार्थी संख्या 16 से 23 खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 736 में से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए खुला था जिससे होकर विद्यार्थी स्कूल आते जाते थे तथा प्रार्थीगण भी उक्त रास्ते से होकर विद्यालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:20 IST
Reason: SelfAttested

दरवाजे मार्क एक्स स्थान से आगे अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 753 में मार्क डी से इ स्थान से होकर हम प्रार्थीगण भी उक्त रास्ता का उपयोग अपने खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु करते थे, परन्तु वर्तमान में खसरा नम्बर 736 के खातेदारो अप्रार्थी संख्या 16 से 23 ने उक्त रास्ता को मार्क सी से डी स्थान तक बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण व विद्यार्थीयो के विद्यालय आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। प्रार्थीगण ने कई बार अपार्थी संख्या 1 से 23 को उपरोक्तानुसार 20 फीट का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 754 तक आने जाने हेतु रेकर्डेड आम रास्ता तक आपसी सहमति से रास्ता देने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 23 आपसी सहमति से रास्ता देने से इन्कार कर दिया। इसलिये प्रार्थीगण की आराजी नवीन खसरा नम्बर 754, 755, 758 में आने जाने हेतु रेकर्डेड आम रास्ता (ग्रेवल रोड) से अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी नवीन खसरा नम्बर 753 रकबा 0.27हे. व अप्रार्थी संख्या 16 से 23 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 736 रकबा 4.70 हे. में से उक्त 20 फीट चौडा रास्ता नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी खसरा नम्बर 753 में से मार्क डी से इ स्थान तक व अप्रार्थी संख्या 16 से 23 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 736 में से मार्क सी से डी स्थान तक लाल स्याही से दर्शित मार्क स्थान अनुसार व प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 754 तक दिया जाना अति आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 753 व अप्रार्थी संख्या 16 से 23 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 736 में से रास्ता देने पर कम भूमि की आवश्यकता पडती है, जो कि धारा 251 क आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते के बिना प्रार्थी का आवागमन अवरूद्व होता है, बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रहते है तथा कृषि उपकरण लाने ले जाने में प्रार्थीगण को भारी बाधा पहूंचती है तथा गांव के समस्त स्कूली बच्चों को स्कूल तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। अप्रार्थी संख्या 16 से 23 ने आज से 15–20 दिनों पूर्व स्कूली बच्चों का रास्ता बंद कर दिया, जिसके चलते ग्रामिणो ने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, के समक्ष प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया मगर अभी तक उक्त खातेदार अप्रार्थी संख्या 16 से 23 स्कूली बच्चों को आने जाने में भी बाधा पैदा कर रहें है। प्रार्थीगण अदालत हाजा के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 23 को प्रतिकर देने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी मौजा भाटीप के नवीन खसरा नम्बर 754, 755 ,758 में आवागमन व कृषि उपकरण व ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु व विद्यार्थियों के विद्यालय हेतु रेकर्डेड आम रास्ता से अप्रार्थी संख्या 16 से 23 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 736 रकबा 4.70 हेक्टेयर में से उक्त आराजी के दक्षिण लोर पर मार्क सी से डी स्थान तक व अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 753 रकबा 0.27 हेक्टेयर में से उक्त आराजी के पश्चिम लोर पर मार्क डी से ई स्थान तक 20 फीट चौडा रास्ता नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शित अनुसार व प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 754 तक दिये जाने के आदेश फरमावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा को आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 24 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 25 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:20 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी संख्या 25 तहसीलदार रानीवाडा से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाड़ा से जवाब पत्रांक 5364 दिनाँक 14.8.2019 द्वारा दिया पेश किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण के मौजा भाटीप में नवीन खसरा नम्बर 754 रकबा 0.56 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.71 हेक्टेयर रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त खसरा के आवागमन हेतू नजदीकतम मार्ग सरकारी रकर्ड रास्ता के खसरा नम्बर दर्ज नही है व रेकर्ड (.......)रास्ता है। प्रार्थीगण के प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाले खसरा नम्बर 736, 753, है। प्रस्तावित मार्ग की खसरा नम्बर 736 लम्बाई 156 मीटर व खसरा नम्बर 753 में लम्बाई 46 मीटर व चौडाई 6 मीटर है। व क्षैत्रफल 1212 वर्गमीटर बनता है। इनकी वर्तमान डी. एल. सी. 140250/– व कुल प्रति हैक्टेयर राशी की दुगुनी राशी 33997/– रूपये बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई सूचना वृक्षादि, पहाड़, नाड़ी, बेरा या पक्का निर्माण नही है। मौके पर उपस्थित पक्षकारों के रूबरू मौका फर्द तैयार की गयी एवं नजरी नक्शा तैयार किया गया। राजस्व नक्शा में लाल स्याही से अकंन कर भी संलग्न है।

5. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 25 द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा नम्बर 754, 755, 758 रकबा क्रमश 0.56, 0.19, 0.71 हैक्टेयर मौजा भाटीप की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 142 में दर्ज है। तथा मौजा भाटीप की जमाबंदी के खाता संख्या 90 में खसरा नम्बर 736 रकबा 4.70 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 16 से 23 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। व खाता संख्या 32 में खसरा नम्बर 753 रकबा 0.27 हेक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 15 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 23 की ओर से जवाब मे खसरा नम्बर 736 व 753 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। तथा खसरा नम्बर 736 व 753 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 23 द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए व न ही कोई आपत्ति पेश की व न ही कोई खण्डन किया । तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में प्रार्थी को रास्ते की लम्बाई 156 मीटर + 46 मीटर व चौडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 1212 वर्गमीटर है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 140250 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 754, 755 758 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 736 व 753 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 736 में 156 मीटर व खसरा नम्बर 753 में 46 मीटर व चौडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 1212 वर्गमीटर है। जो आगे सरकारी रेकर्ड रास्ता से जोडता है। खसरा नम्बर 736, 753 की डी.एल.सी दर 140250 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 23 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 23 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 156 + 46 = 202 मीटर व चौडाई 6 कुल क्षेत्रफल 1212 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:20 IST
Reason: SelfAttested

तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:20 IST
Reason: SelfAttested